



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Karnal **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0017

Date (दिनांक): 28/07/2026

16:24

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**
Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/07/2026 **Time (समय):** 15:43 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Time (समय):** 28/07/2026 15:43 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 12 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता /

सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): ऋषिपाल

(b) Father's Name (पिताका नाम): शेरसिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव-रिण्डल, KUNJPURA, KARNAL, HARYANA, INDIA



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

2	Permanent Address	गांव-रिण्डल, KUNJPURA, KARNAL, HARYANA, INDIA
---	-------------------	---

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	स.उप.नि अनुज		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, इंस्पेक्टर विजिलेंस करनाल श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मैं ऋषिपाल पुत्र श्री शेरसिंह वासी



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

गांव रिंडल थाना कुंजपुरा जिला करनाल का रहने वाला हूं। यह कि राजेन्द्र S/o पृथ्वी वासी गांव रिण्डल जिला करनाल मे मेरे नाते मे लगने वाले भाई प्रेम चंद्र, अतर सिंह व सुरेन्द्र पुत्रान लोती राम, अखिल पुत्र सुरेन्द्र प्रेम चंद्र व अतर सिंह के 2 पोतो के नाम से थाना कुंजपुरा में खेत से रास्ता रोकने द्वारा दरखास्त दी हुई है। जिसकी जांच I/O अनुज कर रहा है। जिसने मेरे को व भाई भतीजों को 27/7/26 को थाना में बुलाया और कहने लगा कि तुम्हारे खिलाफ जो दरखास्त आई हुई है। उसमें मैं तुम सबको गिरफ्तार कर लूंगा मैंने I/O अनुज जी से प्रार्थना की कि हमारी कोई गलती नहीं है। फिर सारी बात जानने के बाद I/O अनुज जी ने कहा कि मैं इस दरखास्त को रफा-दफा करवा दूँ गा जिसके बदले मे 20 हजार रुपए राशि देने होगी। और मेरे ऊपर उसी समय दबाव डालने लगा और दबाव डाल कर मेरे से उसी समय 10 हजार रुपए I/O अनुज जी ने ले लिए। और बकाया 10 हजार रुपए ले कर I/O अनुज जी ने मुझे आज थाना में बुलाया है और I/O अनुज जी ने कहा कि मेरी SHO साहब से बात हो गई है। अब तुम्हारा मामला निपट जाएगा। अब मैं I/O अनुज जी को बचे 10 हजार रुपए कि रिश्त नही देना चाहता हूं। और मैं I/O अनुज जी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मैंने I/O अनुज की रिश्त की मांग करने के बारे में रिकॉर्डिंग भी की हुई है। जोकि मैं आप को पेश कर रहा हूं। और रिश्त मे दी जाने वाली राशि दस हजार रुपए आपको पेश कर रहा हूं। निवेदन है कि आप I/O अनुज जी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएँ। हस्ता ऋषिपाल ऋषिपाल पुत्र शेर सिंह गांव-रिण्डल थाना-कुंजपुरा जिला-करनाल Mob.7027303748 दिनांक 28/07/26

पुलिस कार्यवाही- आज मन निरीक्षक मय साथी कर्मचारी निरीक्षक निर्मल सिंह स.उ.नि.सुबे सिंह न0 242/AMB स.उ.नि.सुरेन्द्र न0 5/247, स.उ.नि.संदीप न0 17/KNL, HC बलदेव सिंह न0 624/AMB, CT. गौरव न0 134/कुरुक्षेत्र के साथ बा सवारी गाड़ी सरकारी न0 HR-03GV-4723 जिसका चालाक HC कुलदीप सिंह न0 776/RTK, मय प्राईवेट गाड़ी के साथ बुराये कार सरकार नजदीक नेवल करनाल एरिया में हूं कि कार्यालय से फोन प्राप्त हुआ और शिकायतकर्ता का नाम व मोबाईल नम्बर देकर सम्पर्क करने बारे कहा जिस पर मैंने शिकायतकर्ता रिषिपाल से बजरिया फोन सम्पर्क किया जिसने बतलाया कि वह भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी पर कार्यवाही करवाना चाहता है और एक हस्तलिखित दरखास्त बाबत बर खिलाफ स.उ.नि.अनुज थाना कुंजपुरा करनाल बाबत मांगने रिश्त पेश की और साथ में 10,000/- रुपये रिश्त में दी जाने वाली राशि पेश की व एक रिकॉर्डिंग डिवाइस पेश की जो रिकॉर्डिंग डिवाइस में दर्ज आवाज को सुना गया जिसमें रिश्त राशि की मांग बारे बातचीत होनी पाई



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

गई है। मन निरीक्षक ने दरखास्त के हालात बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय रा. स. एवं भ. नि. ब्यूरो करनाल को बजरीया मोबाईल बतलायें, जिन्होंने दरखास्त पर तुरंत कार्यवाही करने बारे कहा और मन निरीक्षक के द्वारा स्वतन्त्र गवाह नियुक्त करने बारे निवेदन किया तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने श्री साहिल नायब तहसीलदार निगदू, करनाल को स्वतन्त्र गवाह नियुक्त करके आदेशों को व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवाया जिसमें स्वतन्त्र गवाह द्वारा छाया गवाह खुद के स्तर पर लाने बारे आदेश किए हैं। मन निरीक्षक के स्वतन्त्र गवाह से बजरिया फोन सम्पर्क किया और हालात से अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश बारे बतलाया और कार्यालय से एक कर्मचारी साथ लेकर मौका पर आने बारे निवेदन किया। शिकायतकर्ता की दरखास्त से अपराध जेर धारा 7 PC Act 1988 का घटित होना पाया जाने पर तहरीर बराए कायमी अभियोग, बदस्त सिपाही गौरव न0 134/कुरुक्षेत्र के अरसाल थाना है बाद कायमी अभियोग संख्या से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट करनाल व उच्च अधिकारीगण को भिजवाई जाये। मन निरीक्षक के द्वारा रिश्तत राशि 10,000/- रुपये की सूची करंसी नोट नम्बरी तैयार की गई। मन निरीक्षक राजपत्रित गवाह व छाया गवाह के दर इन्तजार होती हूँ। तफतीशी बैग, लैपटाप, प्रिंटर गाड़ी में मौजूद है। अज- नजदीक नेवल बस अड्डा करनाल Sd/-Parveen Kumari निरीक्षक थाना रा0स0एवं भ0नि0ब्यूरो करनाल दिनांक 28-7-2026 AT-12:40PM

अज थाना :- हस्ब आमदा तहरीर पर कायमी अभियोग संख्या 17 दिनांक 28.07.2026 U/S 7 PC ACT, 1988 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्युटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरानबाला व इलाका मैजिस्ट्रेट साहब करनाल को बजरिया/ई-मेल सूचित किया गया है व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा सिपाही गौरव न0 134/KKR के हवाले की जाकर रवाना निजद अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा हिदायत मुनासिब दी गई। उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर के कोड से निरीक्षक प्रोमिला न0 189/सोनीपत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है ले0 मोहर



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): PARVEEN KUMARI (I (Inspector)) Rank (पद): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 917027786101

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या) District (ज़िला):

(4) Transferred to P.S. (थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PARVEEN KUMARI



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Signature / Thumb
impression
of the complainant /
informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे
का निशान)

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 395PPT

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1983				
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट